	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		पत्रावली पेश हुई पूर्व आदेशित दिनांक 2.11.2017 के क्रम में वादीगण को सूचना प्रेषित आगे लेकर दिनांक 22.3.2018 को पेश हो।	
आज है।		पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/आज पीठासीन अधिकारीजी ~~अवकाश~~/भ्रमण में है। अतः पत्रावली अयन्दा दिनांक 15.5.18 के पूर्व आदेश की पालना में पेश हो।	
आज है।		पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/आज पीठासीन अधिकारीजी ~~अवकाश~~/भ्रमण में है। अतः पत्रावली अयन्दा दिनांक 21.8.18 के पूर्व आदेश की पालना में पेश हो।	
आज है।		16.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान माह अप्रैल 2018 के मुताबिक हमारे समक्ष पेश हुई। वादी श्रमिक ने केसा की मृत्यु के बाद अधिकता से इकरारनामा दि. 2.11.17 का No Instruction किया गया है वादीगण के पुत्र राजू व तलक ने उपस्थित। वादीगण के वारिसान का सुना गया तथा स्टेट की ओर से तहसीलदार रेवदर उपस्थित। तहसीलदार रेवदर ने बताया कि विवादित भूमि वादीगण के पिताजी को बटाईकर	राजू/केसाजी तलक/केसाजी प्रधानमंत्री आदानगढ़ अभयारण्य सुलाखाना
	1180 3/11/17		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
	पूर्व में विलाग्राम आदि भूमि जिसका आवंटन प्रतिवादीगण के दादा दौलाराम व दरगाही को आवंटन हुई थी। न्यायालय के आदेश दि. 8.6.65 की क. 75 व 79 में जिसे अपीलार्थी पेश की है जिसे आदिल मिसल तिलागपा/पचावली में निवादित की है अवलोकन से निवादित की भूमि ख. क्र. 13/243, 24/287 व ख. स. 14/265 पूर्व में विलाग्राम भूमि थी जिसमें प्रतिवादीगण 1 ता 4 के दादा दरगा व प्रतिवादीगण 5 ता 7 के दादा दौला का वर्ष 1963 में आवंटन हुई थी। इस प्रकार विवादित भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि नहीं होकर प्रतिवादीगण के दादा का आवंटित सरकारी भूमि है जिसमें वादीगण का विधिक अधिकार हक हिस्सा नहीं बनता है अतः वादीगण का वाद अंश - 88/16 डिक्री प्रथम हास्टिया परिवादी को खारिज होने से खारीज किया जाता है आदेश पेश करें। मागानी पे मजमे आम सुनाया गया पचावली मजमे आम सुनाया गया। पचावली लेखक तैयार होकर तरबर से सम हो।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) चित्तौड़